न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2016 **दायर दिनांकः 27.05.2016**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 90 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल जाति बृाह्मण निवासी श्री का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।
2. रामकन्या बाई उम्र 92 वर्ष बेवा भंवरलाल जाति बृाह्मण निवासी श्री जी का चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मंदिर श्री कल्याण राय जी बिराजमान बारां नाबालिंग बविलायत व्यवस्थापक व प्रबन्धक तहसीलदार अटरू तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान सरकार जरिये देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय बारां जिला बारां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनांक 03.06.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का वाद पत्र अदालत हाजा में पेश कर दिया है। जो ठोस तथ्यों पर आधारित है। जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। मंदिर श्री कल्याणराय जी एक नाबालिंग व्यक्ति है। जिसकी व्यवस्था वर्तमान समय में तहसीलदार अटरू देख रहे है तथा तहसील अटरू एक सरकारी व्यक्ति है जो नाबालिंग के वली है। अतः उनको नाबालिंग का वली बनाकर पेश किया जा रहा है। इस हेतु आदेश 32 का आवेदन अलग से प्रस्तुत कर दिया गया है। ग्राम छजावा तहसील अटरू में ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 कुल दो किता रकबा 3.96 है0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम दर्ज है। उक्त आराजी को आगे विवादित अराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी का साबिक ख0नं0 255 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा था यह स्थित सं0 2013 से 2032 की खसरा सफाई सेटलमेन्ट विभाग के रिकार्ड में दर्ज थी

तथा इस जमाबन्दी में कालम नं0 4 में विवादित भूमि माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थान बारां पुजारी श्रीधर वल्द बंजरगा कौम बृाह्मण निवासी बारां के नाम दर्ज थी एवं कालम नं0 6 खुद काबिज का अंकन था। उस समय से ही मंदिर कल्याणराय जी की सेवा पूजा श्रीधर जी करते थे श्री धर जी के पारिवार सजरा निम्न प्रकार हैः—

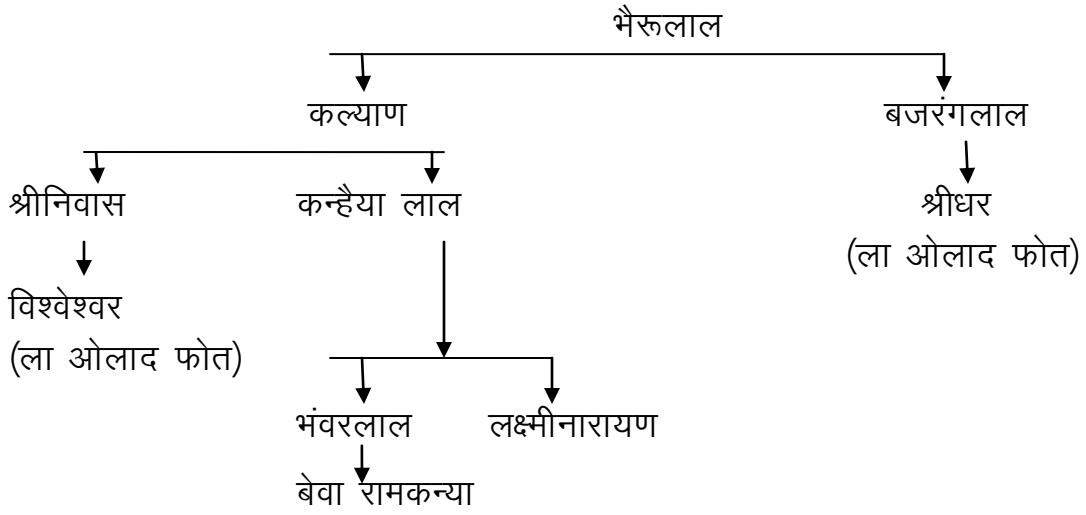

इस प्रकार श्री धर के वारिसान में प्रार्थीगण ही जीवित वारिसान है तथा वे ही वर्ममान समय में मंदिर कल्याणराय जी की सेवा पूजा करते चले आ रहे है। तथा तेल भोग की व्यवस्था करते है। इस कारण वादग्रस्त भूमियों को काश्त करने का प्रथम अधिकार प्रार्थीगण/वादीगण का बनता है। एवं प्रार्थीगण/वादीगण ही कात करते चले आ रहे है। किन्तु कुल समय से अप्रार्थीगण मंदिर की सेवा पूजा वादीगण से करवाते है। किन्तु भूमियों की काश्त व्यवस्था के लिये नीलाम बोली जरिये काश्त व्यवस्था करवाने लग गये है। जिसका उनको कोई अधिकार हांसिल नही है। जबकि प्रार्थीगण उपरोक्त व्यवस्था अनुसार वादग्रस्त भूमियों को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है। गत वर्ष भी वादग्रस्त भूमियों को जरिये मुनाफा काश्त भूमियां काश्त की थी एवं इस वर्ष भी गत वर्ष के बराबर या उससे अधिक मुनाफा देकर प्रार्थीगण ही भूमियां काश्त कर रहा है। किन्तु अप्रार्थीगण बे वजह प्रार्थीगण/वादीगण को परेशान करते है एवं भूमियां काश्त नही करने देते है। इस कारण वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण के कब्जे में रहना आवश्यक हो गया है। जबकि बिना किसी मुआवजे के ही प्रार्थीगण को वह भूमियां काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। फिर भी प्रार्थीगण मंदिर की व्यवस्था के लिये कुछ रकम भी जमा करने को तैयार है। लेकिन दिनांक 01.05.2016 को अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमियों की नीलामी की बोली फिक्स कर दी, बामुश्किल वादीगण के समझाने से प्रतिवादीगण माने। फिर भी एलानियां धमकी दी है कि अगले वर्ष हम यह भूमि आपकों काश्त नही करने देगें। अस्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालशी है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों के कब्जे बाबत् किसी

प्रकार की मदाखलत न स्वयं करें न अपने प्रतिनिधि/स्वजनों से करावें। इसकी एवज में प्रार्थीगण कुछ निश्चित राशि भी जो अदालत उचित समझे वह जमा करने को तैयार है। अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाबी होगये तथा विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कर लिया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही हो सकेगी तथा प्रार्थी/वादी को अनन्य मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा। प्रार्थीगण का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित भूमियों पर प्रार्थीगण/ वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थी क्रम 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई अप्रार्थी क्रम 1 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी वर्तमान में मन्दिर श्री कल्याण राय जी विरासमान बारां के ग्राम छजावा की ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.96 है0 खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पूर्व में साबिक ख0नं0 255 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा था। मंदिर श्री कल्याणराय जी की सेवा पूजा प्रार्थी के पूर्वज भंवरलाल, लक्ष्मीनारायण बिष्वेश्वर बेटे श्रीधर बृाह्मण वगै0 करते थे जो रिज्यूम 01.08.1960 को हुई, प्रार्थी के पूर्वज भमि को कास्त करते चले आ रहे है। सम्वत 2013 से 2032 की खसरा सफाई सेटलमेन्ट विभाग के रिकार्ड में दर्ज थी तथा इस जमाबन्दी में कालम नं04 में विवादित भूमि माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी स्थान बारां पुजारी श्रीधर बल्द बंजरंगा कोम बृाह्मण निवासी बारां के नाम दर्ज थी एवं कालम 6 खुद काबिज का अंकन था जिनके वारिस अब प्रार्थी है। जो मंदिर कल्याणराय जी की सेवा पूजा तेल भोग की व्यवस्था करता चला आ रहा है। प्रार्थी मंदिर की व्यवस्था के लिये निश्चित राशि भी जो अदालत उचित समझे वह जमा करने को तैयार है। पूर्व में विवादित भूमियों में पुजारियों का नाम अंकित था उसको विलोपित कर दिया गया किन्तु वर्तमान समय में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.09.2018 से जिन जमाबंदीयों में देव मूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम यदि पूर्व में दर्ज था और उसको विलोपित कर दिया गया है तो राज्य सरकार ने आदेश किए है कि वारिस मंन्दिर की भूमियों पर उनके पुजारियों का नाम दर्ज किया जावें ताकि पुजारी मन्दिर के साथ साथ अपना नाम दर्ज होने के कारण भूमि के विकास के लिये नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से विधुत पेयजल ट्वूबैल आदि के

लिये कनेक्शन ले सकें, फसल खरावें की स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकें, मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर प्रत्येक पुजारी बहेसियत मन्दिर के संरक्षक के रूप में लाभ ले सके। इसका निस्तारण मूल वाद के निर्णय में किया जावेगा किन्तु विवादित भूमि पर प्रार्थीगण कब्जा बनाये रखना चाहता है तो दावा के निर्णय तक 1000 रूपये प्रति बीघा से केस सेक्यूरिटी तहसील अटरू में जमा कराने पर ही रखा सकेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छजावा तहसील अटरू में ख0नं0 422 रकबा 1.34 है0 व ख0नं0 423 रकबा 2.62 है0 कुल दो किता रकबा 3.96 है0 पर प्रार्थी 1000 रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष से दावा निर्णय तक केस सेक्यूरिटी जमा कराने पर ही अपना कब्जा काश्त रख सकेगा। प्रार्थीगण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य उक्त केस सेक्यूरिटी दावा निर्णय तक तहसील मे जमा करायेगा यदि प्रार्थीगण उक्त राशि जमा कराने में असफल रहता है तो तहसीलदार अटरू उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर मुनाफा काश्त पर काश्त व्यवस्था करायेगें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.17 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: